कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया	मनोंरजन विभाग एवं भूतत्व तथा खनन विभाग के अभिलेखों की हमारी नमूना जॉच के दौरान पाये गये आपत्तियों में से ₹ 70.19 करोड़ के व्याख्यात्मक प्रकरणों को हम इस अध्याय में प्रस्तुत करते है। हमने, विभाग द्वारा कर, रायल्टी और ब्याज की न/कम वसूली के कई उदाहरण पाये।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)	अवधि 2012–13 के दौरान हमने मनोरंजन कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनन विभाग के क्रमशः 24 एवं 73 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच सम्पन्न की और कर, रायल्टी, ब्याज और अन्य अनियमितताओं के न/कम वसूली के 490 प्रकरणों में सन्निहित धनराशि रू0 665.93 करोड़ के प्रकरण को पाया। विभाग ने अव–निर्धारण तथा अन्य कमियों को माना तथा ₹ 18.20 लाख वसूल किया।
हमारा निष्कर्ष	विभागों को आन्तरिक लेखापरीक्षा की मजबूती को सम्मिलित करते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता हैं जिससे प्रणाली में कमियों का पता चले और हमारे द्वारा इंगित कमियों की प्रकृति से भविष्य में बचा जॉय। हमारे द्वारा इंगित न वसूले गये कर, कम कर के आरोपण अर्थदण्डों को वसूलने आदि की कार्यवाही शुरू करने भी की भी आवश्यकता है और विशेषकर उन प्रकरणों में जिन्हें विभागों ने हमारे प्रेक्षण में स्वीकार किया है।

अध्याय-VI
अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2012–13 में मनोरंजन कर, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के क्रमशः 24 एवं 73 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 665.93 करोड़ के कर एवं ब्याज को वसूल न किया जाना आदि के 490 मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि सारणी क्रमांक 6.1 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 6.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
मनोरंजन कर विभाग			
1.	ब्याज का न प्रभारित किया जाना	09	0.05
2.	कर का न वसूल किया जाना	18	1.52
3.	अन्य अनियमिततायें	70	1.51
	योग (क)	**97**	**3.08**
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग			
1.	रायल्टी का न वसूल किया जाना	102	26.52
2.	पट्टा विलेख न निबन्धित कराये जाने से राजस्व की वसूली न होना	13	2.45
3.	अर्थदण्ड का अनारोपण	66	141.27
4.	उपखनिजों के मूल्य का न वसूला जाना	31	170.74
5.	अविवहन शुल्क का अनारोपण	23	85.31
6.	अन्य अनियमिततायें	158	236.56
	योग (ख)	**393**	**662.85**
	महायोग (क +ख)	**490**	**665.93**

वर्ष 2012–13 दौरान विभागों ने पांच मामलों में निहित ₹ 18.20 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार व वसूल किया।

अनुवर्ती प्रस्तरों में ₹ 70.19 करोड़ के कुछ निदर्शी मामले उल्लिखित हैं।

6.2 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

मनोरंजन कर, भूतत्व और खनिकर्म कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में लाइसेंस फीस, अनुरक्षण प्रभार, ब्याज एवं रायल्टी की वसूली नहीं/कम किए जाने, आवेदन शुल्क एवं दण्ड का अनारोपण, अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण, अप्राधिकृत विदोहन, शासकीय आदेशों का अधिनियमों/नियमों में अनुरूपता न होना, फीस/अतिरिक्त फीस की वसूली न किया जाना आदि के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की त्रुटियां प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रृटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

मनोरंजन कर विभाग

6.3 अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना

उ0प्र0 सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3) की धारा–4, उ0प्र0 सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 1988 के नियम–12, 16 व 18 और उ0प्र0 सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी निम्न कालम–I में बताये गये जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र में कालम II या III के में निर्दिष्ट दर पर एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये, शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि से अनधिक के लिये वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन सिग्नल रिसीवर की एजेन्सी हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

कालम–I (स्थानीय क्षेत्र)	कालम–II (वीडियो लाइब्रेरी हेतु अनुज्ञा शुल्क)	कालम–III (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर हेतु अनुज्ञा शुल्क)
(अ) नगर निगम नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा	पाँच हजार रुपये	दस हजार रुपये
(ब) नगर परिषद	तीन हजार रुपये	छः हजार रुपये
(स) टाउन एरिया/ अन्य स्थानो	एक हजार रुपये	तीन हजार रुपये

जून 2012 और फरवरी 2013 के मध्य चार सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/मनोरंजन कर कार्यालयों[1] की पत्रावलियों[2] में हमने पाया कि अप्रैल 2010 और फरवरी 2013 की अवधि में 50 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी तथा 72 वीडियो लाइब्रेरी, जो कि जिले में संचालित थे, से कोई अनुज्ञा शुल्क[3] नियमानुसार वसूल नहीं किया गया था। इस प्रकार, शासन देय अनुज्ञा शुल्क ₹ 5.47 लाख तथा ब्याज ₹ 74,000/– के राजस्व से वंचित रहा। विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी क्रमांक 6.2

(₹ लाख में)

क्रम सं0	जिले का नाम	टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी	वीडियो लाईब्रेरी	देय अनुज्ञा शुल्क	देय ब्याज (लेखापरीक्षा तिथि तक आगणित)
1	बरेली	––	72	1.90	0.09
2.	बिजनौर	14	––	0.91	0.13
3.	मुरादाबाद	13	––	1.27	0.26
4.	मुजफ्फरनगर	23	––	1.39	0.26
	योग	**50**	**72**	**5.47**	**0.74**

जून 2012 और फरवरी 2013 के मध्य प्रकरण विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकारा तथा कहा (अगस्त 2013) कि बरेली में अनुज्ञा शुल्क अब जमा कराया जा चुका है और 19 वीडियो लाइब्रेरी, जो संचालित पाये गये, उनसे विलम्ब शुल्क वसूला गया। विभाग ने अन्य तीन जिलों के बचे हुए प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है।

[1] म0क0आ0: बरेली और बिजनौर स0आ0म0: मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर।
[2] वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन की अनुज्ञा शुल्क पंजिका।
[3] 78 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी तथा 113 वीडियो लाइब्रेरी में से।

6.4 रख–रखाव प्रभार जमा न किया जाना

उ0प्र0 मनोरंजन कर एवं बाजीकर अधिनियम 1979 की धारा 3ए(1) के अन्तर्गत सिनेमा मालिकों को, सिनेमा हाल में प्रवेश करने वाले दर्शकों से क्रमशः ₹ 3/– प्रति सीट रखरखाव प्रभार के अतिरिक्त 60 पैसा वातानुकूलन एवं 25 पैसा वायुप्रशीतन सुविधा हेतु अतिरिक्त प्रभार के रूप में संग्रह करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। यह सुविधा उ0प्र0 मनोरंजन एवं बाजीकर (संशोधन) घोषणा 2009 अधिनियम द्वारा 16 जून 2009 से वापस ले ली गई। मनोरंजन कर आयुक्त (म0क0आ0) ने भी (2009) में स्पष्ट किया कि यदि 16 जून 2009 के बाद दर्शकों को वातानुकुलित/वायुप्रशीतन सुविधा या रखरखाव प्रभार के लिए आतिरिक्त प्रभार वसूल किया गया है तो इस राशि को शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए था।

अप्रैल 2012 से जून 2012 के मध्य दो सहायक मनोरंजन कर आयुक्त[4] के अभिलेखों[5] में पाया गया कि अप्रैल 2010 से मई 2012 के मध्य 13 सिनेमा हाल स्वामियों ने ₹ 5.53 लाख[6] रखरखाव प्रभार 16 जून 2009 से 3 सितम्बर 2009 मध्य वसूल किया लेकिन स0म0क0आ0 ने उस राशि को शासकीय खाते में जमा करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करी। जिसके परिणामस्वरूप सिनेमा स्वामियों को अनौचित्यपूर्ण धनलाभ हुआ।

प्रकरण शासन एवं विभाग को मई 2012 एवं जुलाई 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) और कहा कि वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है, अलीगढ़ एवं इलाहाबाद के प्रकरण में ₹ 2.81 लाख[7] की राशि शासकीय खाते में जमा की जा चुकी है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

6.5 ईंट भट्ठा मालिकों से रायल्टी व ब्याज का न वसूल किया जाना

दिसम्बर 2004 में जारी की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0एस0) में ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा ₹ 400 प्रति ईंट भट्ठा प्रार्थना–पत्र शुल्क अदा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद ईंट भट्ठा क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी की धनराशि एकमुश्त अदा करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0एस0 में प्रावधान है कि यदि ईंट भट्ठा स्वामी रायल्टी की एकीकृत धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करा देगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए ओ0टी0एस0एस0 के पैरा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त किराया, रायल्टी फीस या अन्य देय रकम पर ओ0टी0एस0एस0 के पैरा ग्राफ 1(5) के अनुसार निर्धारित दर से ब्याज भी प्रभारित किया जा सकता है।

मई 2012 एवम् दिसम्बर 2012 के मध्य 22 जिला खान कार्यालयों[8] में हमने ईंट भट्ठा पंजिका और ईंट भट्ठा स्वामियों की पृथक पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि अवधि 2009–10 से 2012–13 के दौरान 1655 ईंट भटठे (कोटि[9] अ : 1028,

[4] सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, अलीगढ़ और इलाहाबाद।
[5] सिनेमा की रख रखाव पंजिका।
[6] अलीगढ़ ₹ 3.82 लाख इलाहाबाद ₹1.71 लाख ।
[7] अलीगढ़ ₹ 1,34,652 और इलाहाबाद ₹ 1,46,608 ।
[8] अलीगढ़, इलाहाबाद, औरेया, आजमगढ़, बदाँयू, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चन्दौली, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, जालौन, कन्नौज, कानपुर, महराजगंज, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत एवं सहारनपुर।
[9] कोटि–अ अलीगढ़,औरेया,बदाँयू,बागपत,बुलन्दशहर,गौतम बुद्ध नगर,हाथरस,कानपुर,मुरादाबाद,पीलीभीत एवं सहारनपुर।

कोटि[10] बः 290 कोटि[11] स : 337) ईंट भट्ठा काल[12] में संचालित थे। इन ईंट भट्ठा स्वामियों ने ₹ 7.48 करोड़ की रायल्टी भी अदा नहीं की थी। बुलन्दशहर और गौतम बुद्ध नगर में 44 ईंट–भट्ठा स्वामियों[13] ने कुल तीन वर्षो की रायल्टी अदा नहीं करी थी। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों द्वारा उनके व्यवसाय को रोकने की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी। ईंट–भट्ठों के अवैध संचालन को रोकने के लिये जिला खान अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 7.48 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज ₹ 2.74 करोड़ की वसूली नहीं हुई। जैसा कि **परिशिष्ट XVI** में दर्शाया गया है।

मई 2012 तथा मई 2013 के मध्य हमने मामले को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) और कहा कि दोषियों से रायल्टी व ब्याज को वसूलने के निर्देश कलेक्टर के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं। आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

[10] कोटि–ब इलाहाबाद,बाराबंकी,चन्दौली,फतेहपुर,जालौन एवं कन्नौज।

[11] कोटि–स आजमगढ़,बलिया,बलरामपुर,महराजगजं एवं मऊ।

[12] ईट भट्ठा काल प्रति वर्ष माह अक्टूबर से आगामी वर्ष के माह सितम्बर तक होता है।

[13] आठ बुलन्दशहर में तथा 36 गौतमबुद्धनगर में।

6.6 ईंट मिट्टी का निकाला जाना

6.6.1 ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 व 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा।

खान एवम् खनिज (विनिमय एवम् विकास) अधिनियम, 1957 (खान अधिनियम) की धारा–21 (1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम ₹ एक हजार तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

जुलाई 2012 एवम् फरवरी 2013 के मध्य 13 जिला खान कार्यालयों[14] में हमने ईंट भट्ठा स्वामियों की मॉग, संग्रहण और अनुज्ञापन पंजिका की नमूना जॉच में पाया कि अप्रैल 2009 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान 1400 ईंट भटठे (कोटि–अ[15] : 560, कोटि ब[16] : 712, कोटि स[17] : 128) अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु अपेक्षित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र और मिट्टी खनन हेतु खनन अनुज्ञापन और रायल्टी की एकमुश्त धनराशि दिये बिना संचालित थे। इस प्रकार, बिना खनन अनुज्ञापत्र के ईट मिट्टी का खनन अवैध था। इस तथ्य के बावजूद कि खनन संक्रियायें की जा रही थी, विभाग ने उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार व्यवसाय को रोकने या अर्थदण्ड आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, पर्यावरण के हानिकारक प्रभाव के अतिरिक्त रायल्टी का पाँच गुना खनिज मूल्य मानकर ₹ 30.75 करोड़[18] का आरोपण नहीं किया गया।

इसे हमने शासन और विभाग को इंगित किया (सितम्बर 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य)। विभाग ने हमारी आपत्तियों को माना (अगस्त 2013) और कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण ईंट भट्ठों का निरीक्षण नहीं किया गया, ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा अवैध मिट्टी के हटाने का पता नहीं लग पाया और यह भी कि ईंट भटठा स्वामी अन्यत्र से मिट्टी ला रहे हों। उत्तर से हम सहमत नहीं है क्योंकि विभाग का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य के राजस्व हित से समझौता न हो और खान एवम् खनिज अधिनियम की धारा 21 (5) के प्रावधानों को कार्यान्वित करें, जिसमें खनिज मूल्य की वसूली अनिवार्य है।

---

[14] अलीगढ़, बाराबंकी, बदॉयू, चन्दौली, इटावा, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, गोण्डा, हाथरस, मिर्जापुर, सोनभद्र और सुन्तानपुर और वाराणसी।

[15] अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर और हाथरस।

[16] बाराबंकी और चन्दौली

[17] गोण्डा, मिर्जापुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर।

[18] रायल्टी के पाँच गुना निर्धारित जैसा कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) में परिभाषित किया गया है।

6.6.2 ईंट बनाने की मिट्टी के हटान पर आवेदन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 का नियम 52 खनन अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रार्थना के तरीके का प्रावधान करता है। प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 400 निर्धारित थी, जिसे शासन की विज्ञप्ति संख्या 7338/86–2011–18 दिनांक 01 दिसम्बर 2011 द्वारा बढ़ाकर ₹ 2,000 कर दिया गया।

जुलाई 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य हमने आठ जिला खान अधिकारियों[19] के अभिलेखों[20] की जॉच की और पाया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान, 299 ईंट भट्ठा स्वामियों ने खनन अनुज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 2000 के स्थान पर संशोधन के पूर्व की दर ₹ 400 की दर से भुगतान किया और 150 ईंट भट्ठा स्वामियों ने किसी प्रार्थना पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों ने प्रार्थना पत्र शुल्क के कम/न भुगतान का पता नहीं लगाया और न उसे वसूलने की शुरूआत की। परिणामतः प्रार्थनापत्र शुल्क ₹ 7.76 लाख का न/कम आरोपण हुआ, जैसा कि सारणी क्रमांक 6.3 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 6.3

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	मामलों की संख्या	देय आवेदन शुल्क	जमा आवेदन शुल्क	अन्तर
1.	जिला खान अधिकारी, इलाहाबाद	2011–12	72	1.44	0.29	1.15
2.	जिला खान अधिकारी, आजमगढ़	2011–12	25	0.50	0	0.50
			49	0.98	0.23	0.75
3.	जिला खान अधिकारी, चन्दौली	2011–12	125	2.50	0	2.50
			45	0.90	0.18	0.72
4.	जिला खान अधिकारी, जौनपुर	2011–12	42	0.84	0.17	0.67
5.	जिला खान अधिकारी, लखनऊ	2011–12	26	0.52	0.10	0.42
6.	जिला खान अधिकारी, मऊ	2011–12	13	0.26	0.05	0.21
7.	जिला खान अधिकारी, शाहजहॉपुर	2011–12	31	0.62	0.12	0.50
8.	जिला खान अधिकारी, श्रावस्ती	2011–12	21	0.42	0.08	0.34
	योग		**449**	**8.98**	**1.22**	**7.76**

हमने इसे (सितम्बर 2012 और मई 2013 के मध्य) शासन और विभाग को इंगित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को माना और कहा कि वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है (अगस्त 2013)।

[19] इलाहाबाद, आजमगढ़, चन्दौली, जौनपुर, लखनऊ, मऊ, शाहजहाँपुर और श्रावस्ती।
[20] ईंट भट्ठा पंजिका और सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

6.7 अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 व 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा।

खान एवम् खनिज (विनिमय एवम् विकास) अधिनियम, 1957 (खान अधिनियम) की धारा–21 (1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57* आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम पच्चीस हजार रूपये तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

* विज्ञप्ति संख्या 7338/86–2011–183/211 लखनऊ दिनांक 01 दिसम्बर 2011 द्वारा यथासंशोधित

जुलाई 2012 एवम् जनवरी 2013 के मध्य पाँच जिला खान कार्यालयों[21] की अवैध खनन पत्रावलियों एवं पंजिकाओ में हमने पाया कि अप्रैल 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य 35 प्रकरणों में 4,80,358 घनमीटर के उप खनिज को बिना विधि सम्मत प्राधिकार के निकाला गया।

बिना खनन अनुज्ञा/पट्टा के खनिजों की खुदाई न केवल अवैध थी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित किया। बावजूद इसके कि अवैध खनन के ये प्रकरण विभाग के संज्ञान में थे, विभाग ने अवैध खनन की गयी खनिज की निर्दिष्ट रायल्टी की दर के पॉच गुना के खनिज मूल्य के आरोपण एवं उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार अर्थदण्ड के आरोपण की कोई कार्यवाही नहीं की। यह कार्यहीनता ₹ 2.78 करोड़ के खनिज मूल्य के न/कम आरोपण तथा अर्थदण्ड के न/कम आरोपण की ओर अग्रसर हुई जैसा कि सारणी क्रमांक 6.4 में वर्णित है।

सारणी क्रमांक 6.4

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला खान कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	प्रकरणों की संख्या	खनिज मात्रा घनमीटर में	रायल्टी की दर (₹ में)	खनिज की रायल्टी	खनिज का मूल्य[22]	देय धनराशि	अदा/आरोपित धनराशि	भुगतान की जाने वाली शेष धनराशि	आरोपित अर्थदण्ड/कम आरोपित/अनारोपित
1.	अलीगढ़	सा. मिट्टी	1	32410	9	2.92	14.58	17.50	0	17.50	अनारोपित
		सा. मिट्टी	1	209700	9	18.87	94.37	113.24	37.75	75.49	आरोपित
2.	बिजनौर	बालू/ बजरी	1	84520	22	18.59	92.97	111.57	20.71	90.86	अनारोपित
		सा. मिट्टी	1	85050	9	7.65	38.27	45.93	7.65	38.27	अनारोपित
		बालू	1	17560	22	3.86	19.32	23.18	3.10	20.08	अनारोपित
3.	मेरठ	सा.मिट्टी	2	16222	9	1.46	7.30	8.76	0	8.76	अनारोपित
4.	श्रावस्ती	सा. मिट्टी	23	22997	9	2.07	10.35	12.42	0	12.42	अन्तरीय दर से आरोपित
		बालू	4	8099	22	1.78	8.91	10.69	0	10.69	अन्तरीय दर से आरोपित
5.	वाराणसी	बालू	1	3800	22	0.84	4.18	5.02	0.84	4.18	आरोपित
		योग	**35**	**480358**		**58.04**	**290.25**	**348.31**	**70.05**	**278.25**	

मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2012 से मार्च 2013)। विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2013) की अधिनियम एवम् नियमावली में खनिज मूल्य प्रभारित करने का कोई प्रावधान नहीं है और प्रावधान केवल अर्थदण्ड के आरोपण तक ही सीमित है। विभाग ने आगे बताया कि अर्थदण्ड आरोपित करना या खनिज मूल्य या रायल्टी वसूलना यह

[21] अलीगढ़, बिजनौर, मेरठ, श्रावस्ती और वाराणसी।

[22] खनिज मूल्य का 20 प्रतिशत रायल्टी है जैसा कि उ0प्र0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 21 (2) में निर्दिष्ट है।

प्राधिकारी का विवेकाधिकार है, इसलिए इन मामलों में सक्षम प्राधिकारियों ने अपने विवेकाधिकार से खनिज मूल्य वसूलने के बजाय अर्थदण्ड आरोपित किया। विभाग का उत्तर अनुचित है क्योंकि खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 (1) और (5) में अवैध खनन हेतु निर्दिष्ट दण्ड में किराया, रायल्टी या कर से पृथक खनिज मूल्य की वसूली समाहित है। उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली इन मामलों में अर्थदण्ड के आरोपण और/या अपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान है। खनिज मूल्य की वसूली न करके तथा अर्थदण्ड का अनारोपण करके विभाग ने अधिनियम एवम् नियमावली का उल्लंघन किया।

6.8 रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (2) के अनुसार 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने पर किसी किराया, रायल्टी या सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपित की जायेगी। केवल ईंट भट्ठों से रायल्टी वसूली के प्रकरण में 18 मई 2009 के शासनादेश के तहत ब्याज की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी थी। आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2011 द्वारा पुनः ब्याज दर बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया।

मई 2012 एवम् दिसम्बर 2012 के मध्य हमने नौ जि0खा0अ0[23] की पट्टा पत्रावलियों में पाया कि 2009–10 से 2011–12 की अवधि के दौरान 493 प्रकरणों में ₹ 2.07 करोड़ की देय रायल्टी जमा की जानी थी जो 37 से 851 दिनों के विलम्ब से जमा की गयी। विलम्ब से भुगतान का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध के बावजूद विभाग ने विलम्ब से किये गये इन भुगतानों पर ब्याज के आरोपण और वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणाम स्वरूप ब्याज के ₹ 19.10 लाख की वसूली नहीं हुई जिसका ब्यौरा सारणी क्रमांक 6.5 में है:

सारणी क्रमांक 6.5

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	देय अवधि	मामलों की संख्या	देय धनराशि	जमा धनराशि	आरोपणीय ब्याज[24]	ब्याज सहित देय कुल धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	शुद्ध वसूलनीय ब्याज
1.	बागपत	2009-10	68	36.43	36.43	3.04	39.47	43 से 732	3.04
2.	बिजनौर	2009-10	88	45.43	45.43	4.19	49.62	91 से 851	4.19
		2010-11	5	2.62	2.62	0.33	2.95	142 से 290	0.33
		2011-12	2	1.023	1.02	0.03	1.05	37 से 85	0.03
3.	चन्दौली	2011-12	45	16.28	16.28	2.23	18.51	84 से 422	2.23
4.	गाजियाबाद	2009-10	62	34.06	34.06	1.89	35.95	60 से 324	1.89
5.	कौशाम्बी	2011-12	05	2.09	2.09	0.05	2.14	64 से 221	0.05
6.	मिर्जापुर	2011-12	24	7.37	7.37	1.01	8.38	126 से 398	1.01
7.	मुरादाबाद	2010-11	13	6.62	6.62	0.98	7.60	69 से 454	0.98
8.	संतरविदास नगर	2009-10	23	8.18	8.18	0.97	9.15	119 से 399	0.97
9.	वाराणसी	2009-10	139	39.44	39.44	3.70	43.14	65 से 562	3.70
	योग		**493**	**207.33**	**207.33**	**19.10**	**226.43**		**19.10**

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) विभाग ने हमारी आपत्तियों को अपने उत्तर (अगस्त 2013) में माना और कहा कि विलम्ब से जमा के लिये नोटिसें समय से जारी नहीं की गयी थी। विभाग ने आगे बताया कि नियमावली में विहित समय सीमा के अन्तर्गत नोटिसे प्रेषित नहीं की गयी थी, इसलिये अब ब्याज की वसूली नहीं की जा सकती है। विभागीय उत्तर शासकीय देयताओं की वसूली के प्रति इसकी उदासीनता को दर्शाता है। विभाग को शीघ्रतापूर्वक नोटिसें जारी करने हेतु कदम उठाना चाहिए और विलम्ब से जमा रायल्टी पर देय ब्याज को

[23] बागपत, बिजनौर, चन्दौली, गाजियाबाद, कौशाम्बी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, संत रविदास नगर और वाराणसी।

[24] ब्याज दर 2009–10 में 18 प्रतिशत, 2010–11 में 24 प्रतिशत तथा 2011–12 में 24 प्रतिशत प्रति वर्ष।

वसूलना चाहिए तथा उन कर्मियों जिन्होंने समय से नोटिस निर्गत नहीं किया, का उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना चाहिए।

6.9 अनधिकृत उत्खनन

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22ए में प्रावधान है कि खनन से संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है। खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटायेगा, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में ही हटाया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत रायल्टी खनिमुख मूल्य का अधिकतम 20% की दर से निर्धारित है।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) के अन्तर्गत संगमरमर, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर जैसे बालू पत्थर और ग्रेनाइट, स्टोन ब्लास्ट (मिट्टी), बजरी आदि, के प्रकरणों में पट्टाधारक द्वारा प्रपत्र एम0एम–1 (ए) में प्रार्थना पत्र के साथ खनन योजना संलग्न करना अपेक्षित है। नदी तल में पाये जाने वाले बालू और मोरम के लिए खनन योजना की आवश्यकता नहीं है।

6.9.1 हमने जिला खनन अधिकारी सोनभद्र के खनन पट्टो की पत्रावलियों की नमूना जाँच (सितम्बर 2012) में पाया कि पट्टाधारकों ने जुलाई 2003 से मार्च 2012 के दौरान 260049.66 घनमीटर स्टोन बैलास्ट का उत्खनन अनुमोदित खनन योजनाओं में उल्लिखित मात्रा से अधिक का किया। इस प्रकार पट्टाधारकों द्वारा उपखनिज का उत्खनन अनधिकृत था और पट्टाधारकों से खनिज मूल्य ₹ 7.08 करोड़ वसूलनीय था। जि0खा0 अ0 द्वारा तथ्य को नहीं देखा गया तथा अनुमोदित मात्रा से अधिक खनिज के उत्खनन के बावजूद भी पट्टाधारकों को एम0एम–11 फार्म निर्गत करना जारी रखा। जि0खा0अ0 ने खनन योजना से अधिक उत्खनन के लिए पट्टाधारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की तथा निकाले गये खनिज के मूल्य ₹ 7.08 करोड़ और अर्थदण्ड को वसूलने की कोई कार्यवाही नहीं की जैसा कि सारणी क्रमांक 6.6 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 6.6

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	फर्म का नाम सर्वश्री	मामलों की संख्या	खनन योजना के अनुसार अनुमन्य मात्रा घनमीटर में	कुल उत्खनित मात्रा घनमीटर में	अधिक उत्खनन घनमीटर में	वसूली योग्य खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	सोनभद्र	ए.के.मौर्या	1	6000	77071.66	71071.66	131.43	0.25
		के0के0स्टोन प्रोडक्ट	1	6000	79800	73800	184.68	0.25
		सौरभ क्रशर	1	30000	48178	18178	61.80	0.25
		बशीर बेग	1	20000	117000	97000	329.80	0.25
		योग	**4**	**62,000**	**3,22,049.66**	**2,60,049.66**	**707.71**	**1.00**

6.9.2 खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उपखनिज का उत्खनन

जिला खान अधिकारी मिर्जापुर और सोनभद्र की पत्रावलियों से हमने पाया (सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2012 के मध्य) कि पट्टाधारको ने उपखनिजों का उत्खनन और परिवहन अपनी खनन योजनाओं के नवीनीकरण/अनुमोदन के बिना किया। पट्टाधारको की खनन योजना केवल 3 वर्ष के लिये अनुमोदित की गयी थी, फिर भी पट्टाधारकों ने खनन योजना की अवधि समाप्ति के पश्चात भी उपखनिजों का निकालना जारी रखा। अप्रैल 2003 एवम् मई 2012 के मध्य 1 दिन से लेकर 1,060 दिनों की अवधि में पट्टाधारको द्वारा 6,26,783 घनमीटर उपखनिजों का अवैध उत्खनन किया गया। जिला खान अधिकारियों द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तथा उन्होंने खनन योजना की समाप्ति के बाद भी पट्टाधारको को एम0एम0–11 निर्गत करना जारी रखा।

जिला खान अधिकारियों ने अनधिकृत उत्खनन को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की एवम् खनन किये गये खनिज जिसका मूल्य ₹ 18.82 करोड़ था तथा उस पर शास्ति दोनों की वसूली भी पट्टा धारकों से नहीं की।

इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2012 एवम् दिसम्बर 2012), विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि खनन योजना/खनन योजना के नवीनीकरण के बिना किया गया उत्खनन का यह उल्लंघन अवैध न होकर उ0प्र0ख0प0 नियमावली के नियम 34 का उल्लंघन है।

हम सहमत नहीं है क्योंकि खनन संक्रियायें अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना अपेक्षित था और विभाग को उत्खनित खनिज का मूल्य व इस उल्लंघन के लिये उस पर देय अर्थदण्ड की वसूली की कार्यवाही करनी थी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

6.10 अधिनियम/नियमों के साथ शासनादेशों का अनुरूप न होना

अधिनियम की धारा 4 (1–क) एवम् धारा 21 (1) से (5) के साथ पठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 का नियम 70(1) में प्रावधान है कि खनन पट्टा या अनुज्ञा का धारक या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपखनिज को किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पास फार्म एम0एम0 11 में निर्गत करें। नियम 70 (2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी उपखनिज को उपनियम (2) के अन्तर्गत जारी फार्म एम0एम0 11 के बिना, (रेलवे को छोड़कर) किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से प्रदेश के अन्दर नहीं ले जायेगा। नियम 70(6) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इन नियम के किसी प्रावधान का प्रतिषेध करता हुआ पाया जाता है, तो दोष सिद्धि पर, कारावास जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदण्ड ₹ 25,000/– या दोनों दण्ड का भागी होगा। शासनादेश संख्या 594/77–5–2001–2002/77 टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 02 फरवरी 2001 और शासनादेश संख्या 4951(1)/77–5–/2006–506/05 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर 2006 में अधिशासी अधिकारी को, ऐसे प्रकरणों में जहाँ कार्यदायी संस्था को उप खनिजो की आपूर्ति बिना एम0एम0 11 के की गयी है, रायल्टी वसूलने या रायल्टी भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

फरवरी 2013 में जिला खान अधिकारी फिरोजाबाद की लेखा परीक्षा में हमने देखा कि सात कार्यदायी संस्थाओं[25] ने 15 लोक निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया। इन सभी प्रकरणों में ठेकेदारों ने उनके द्वारा प्रयुक्त उपखनिजों के बिल के साथ एम0एम0 11 फार्म प्रस्तुत नहीं किया, इसलिये कार्यदायी संस्थाओं ने शासनादेश दिनांक 02 फरवरी 2001 व शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर 2006 के अनुसार उनके बिल से रायल्टी की कटौती कर ली और रायल्टी के बदले ₹ 7.47 लाख जमा किया। हमने देखा कि उक्त शासनादेश खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप नहीं थे क्योंकि इन शासनादेशों के अनुसार कार्यदायी संस्थायें, बिना एम0 एम0 11 के आपूर्ति किये गये खनिजों के मामलों में रायल्टी या रायल्टी के साक्ष्य के रूप में कोषागार चालान की प्रति प्राप्त करने के लिये अधिकृत थे। खान अधिनियम की धारा 21(5) और 21(1) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली तथा अर्थदण्ड का आरोपण के नियम है। चूँकि खनिज मूल्य की वसूली एवम् अर्थदण्ड के आरोपण के बारे में शासनादेश चुप है। अतः ये आरोपित/वसूल नहीं किये जा रहे हैं। मात्र जिला खान अधिकारी फिरोजाबाद के प्रस्तुत प्रकरण में ही अवैध परिवहन के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25,000 के अर्थदण्ड के अतिरिक्त खनिज मूल्य ₹ 37.33 लाख आरोपणीय था।

इस प्रकरण को इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि कार्यदायी संस्थाओं ने नियम 68 में विहित शक्तियों के अन्तर्गत जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की है। खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशो की असंगतता की हमारी विशेष आपत्ति पर विभाग ने उत्तर नहीं दिया। कथित शासनादेश खनिज मूल्य व अर्थदण्ड की वसूली के प्रावधान के बिना निर्गत किये गये, जिस पर खान अधिनियम की धारा 21 का मुख्य जोर है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधान कि बिना

[25] विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद, अ0अ0, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फिरोजाबाद, जिला पंचायत, अ0अधिकारी, नगर पालिका फिरोजाबाद, एस0एस0 पी0डब्लू0डी0 फिरोजाबाद, अ0अ0लो0नि0वि0प्रा0ख0 फिरोजाबाद और डी0डी0 कंस्ट्रक्शन फिरोजाबाद।

वैध एम0 एम0 11 के खनिजों के परिवहन करने पर व्यक्ति पर शास्ति और/या दण्ड आरोपित किया जायेगा, को शासनादेश में ध्यान नहीं दिया गया। खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशों की असंगतता ने एक कमी छोड़ दी जिसके द्वारा उपखनिजों के अवैध परिवहन एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों के अवैध खनन को स्वीकृति प्रदान की गयी क्योंकि खनिजों के इस अवैध परिवहन में कोई अवरोध नहीं है।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन इन शासनादेशों को, खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप करने हेतु संशोधित करें।

बाट एवं माप विभाग

6.11 शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना

बाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (मा0 बा0 एवं मा0) के प्रावधानों के साथ पठित उत्तर प्रदेश मानक बाट एवं माप नियमावली, 1990 (उ0प्र0मा0बा0 एवं मा0) के नियम 14 एवं 15 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व, नियंत्रक अथवा संरक्षण में कोई बाट एवं माप (क्षमता मापक संग्रहण टैक,लारीज एवं डिस्पेसिंग माप आदि) हो, जिसे किसी लेन–देन या औद्योगिक उत्पादन में उपयोग करता हो, या उपभोग करने वाला हो, को सत्यापन या पुर्नसत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा और इन्हें पाँच वर्ष में कम से कम एक बार, जैसा भी मामला हो, निर्धारित फीस का भुगतान करके मुद्रांकित करायेगा। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन करने पर धारा 47 के अन्तर्गत शास्ति के साथ अर्थदण्ड, जिसे ₹ 500/– तक बढ़ाया जा सकता है, देय होगा। पुनश्च, उ0प्र0 मानक बाट एवं माप नियमावली के नियम 17(3) के अन्तर्गत उ0प्र0मा0बा0नि0 की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट दर के आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क भी पुर्नसत्यापन हेतु वैधता अवधि के समाप्ति के पश्चात् वर्ष के प्रत्येक त्रैमास या उसके भाग के लिये देय होगा।

सितम्बर 2012 और दिसम्बर 2012 मध्य एक चीनी मिल[26] और दो आसवनियों[27] के अभिलेखों[28] में हमने पाया कि इन चीनी मिलों और आसवनियों में दो प्रकरणों में शुरू से तथा एक प्रकरण[29] में पाँच वर्ष की समयावधि समाप्त होने के बाद बाट एवं माप विभाग द्वारा सत्यापन के बिना टंकियाँ/टैंकों का उपयोग हो रहा था। विभाग ने जैसा कि नियम 15(7) में अधिलिखित है, के अनुसार सत्यापन के लिये निरीक्षण नहीं किया और उपयोगकर्ताओं ने भी जैसा कि नियम 15(1) में अभिलिखित है के अनुसार वैट्स/संग्रहण टैंको का सत्यापन नहीं कराया। इसके परिणामस्वरूप आरोपणीय शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क की धनराशि ₹ 8.50 लाख के साथ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर आरोपणीय अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी। चीनी मिलों और आसवनियों में नियुक्त आबकारी विभाग के कर्मियों ने हमारी आपत्तियों से सहमति जतायी कि वैट्स/संग्रहण टैंकों का निरीक्षण और सत्यापन नहीं कराया गया। वैट्स/संग्रहण टैंको का अंशशोधन न करने से इनमें संग्रहीत मदिरा के आयतन के

[26] किसान सहकारी चीनी मिल लि0, साथा अलीगढ़।

[27] ननौता आसवनी ननौता सहारनपुर और नानपारा आसवनी नानपारा, बहराइच ।

[28] वैट्स/टैंको की सत्यापन पंजिका ।

[29] 1–29 जनवरी 1990 से सितम्बर 2012 (खनैता आसवनी ननौता, सहारनपुर) ₹ 2.83 लाख।
2–स्थापना वर्ष 1976–77 से मार्च 2012 (किसान सहकारी चीनी मिल, साथा, अलीगढ़) ₹ 3.65 लाख ।
3–स्थापना वर्ष जून 1992 से मार्च 2012 (नानपारा आसवनी, नानपारा, बहराइच) ₹ 2.03 लाख ।

गलत निर्धारण का खतरा बना रहा जिसके परिणामस्वरूप गलत आबकारी शुल्क का निर्धारण हो सकता है।

अक्टूबर 2012 और जनवरी 2013 के मध्य हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) और कहा कि वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और सहारनपुर में ₹ 3.56 लाख अब तक जमा कराया जा चुका है।

लखनऊ **(डा0 स्मिता एस0 चौधरी)**
दिनांकः **महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा)**
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांकः **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**